

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2018/3546

जबलपुर, दिनांक : 10/12/18

अधिसूचना


सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 01/12/2018 को आयुक्त कार्यालय में कुलसचिवों के साथ उच्च शिक्षा संचालनालय एवं विश्व बैंक परियोजना के अधिकारियों की बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है-

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/पाठ्यक्रम/विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश का सत्र 2019-20 के लिए माननीय कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन उपरांत दिनांक 05/10/2018 को जारी की गई । जिसमें 30 अप्रैल 2019 के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी कोई भी प्रकरण में निरंतरता/संबद्धता विश्वविद्यालयों द्वारा जारी कोई भी प्रकरण में निरंतरता/संबद्धता आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश की पूर्वानुमति के बिना मान्य नहीं किया जायेगा ।

इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01/02/2018 को आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता जारी करने हेतु आवेदक महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित करने तथा विश्वविद्यालयवार निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ 50 प्रतिशत अधिक शुल्क जोड़कर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है ।

शासकीय/अशासकी स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों में जमा की जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संबंधित विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र का सम्बद्धता शुल्क जमा कर विगत वर्षों के सम्बद्धता शुल्क के संबंध में पृथक से निर्णय लिए जाने की अनुशंसा की गई ।

आदेशानुसार,


प्रभारी कुलसचिव, 7.12.18
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ० क्रमांक/अका./2018/3546 अ
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

जबलपुर, दिनांक 10/12/2018

1. सम्माननीय कार्यपरिषद सदस्य, रा०दु०वि०, जबलपुर ।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर-संभाग, जबलपुर
3. सभस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिकारीगण, रा०दु०वि०, जबलपुर।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभस्त प्राचार्यगण ।
5. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०, जबलपुर।
6. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोननीय रा०दु०वि०, जबलपुर।

-----2